समाहरणालय, कटिहार

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या–02/2018–19

प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक **1137 दिनांक 24.04.2017** के आलोक में **संभावित बाढ़/आपदा 2018** के दौरान आपदा से विस्थापितों हेतु चलाए जाने वाले राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने एवं परोसने के निमित्त बर्तनों का क्रय करने/भाडे पर उपलब्ध कराने हेतु निम्न सामग्रियों, जिसकी पूर्ण विवरणी नीचे अंकित है के दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति के लिए इच्छुक आपूतिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबन्द निविदा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार मे सूचना प्रकाशन के बाद की तिथि से 11.00 बजे पूर्वाहन से 5.00 बजे अपराह्न तक प्रत्येक कार्य दिवस में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्ति की अंतिम **तिथि– 01.06.2018 के अपराह्न 5.00 बजे** तक होगी। प्राप्त निविदाऐं **अगले दिन 02.06.2018 के पुर्वाहन 10.00 बजे** अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। सामग्रियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

(क) <u>बर्त्तन कय हेतु</u> :–

क्र०	सामग्री का नाम	साईज	मात्रा (नग)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	पतीला अल्युमिनियम	30''	आवश्यकतानुसार	
2	पतीला अल्युमिनियम	25''	आवश्यकतानुसार	
3	पतीला अल्युमिनियम	20''	आवश्यकतानुसार	
4	पतीला अल्युमिनियम	18''	आवश्यकतानुसार	
5	परात अल्युमिनियम	29''	आवश्यकतानुसार	
6	परात अल्युमिनियम	26''	आवश्यकतानुसार	
7	कड़ाही लोहे की	29''	आवश्यकतानुसार	
8	पलटा लोहा	बड़े साईज का	आवश्यकतानुसार	
9	झरना लोहा	बड़े साईज का	आवश्यकतानुसार	
10	झरना लोहा	छोटे साईज का	आवश्यकतानुसार	
11	करछी स्टील/लोहा	बड़े साईज का	आवश्यकतानुसार	
12	करछी स्टील/लोहा	मंझले साईज का	आवश्यकतानुसार	
13	प्रेशर कुकर	22 लीटर वाला	आवश्यकतानुसार	
14	आटा चलनी	बड़े साईज का	आवश्यकतानुसार	
15	थाली स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
16	कटोरा स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
17	चकला बेलन	बड़े साईज का (पिढ़ा टाईप)	आवश्यकतानुसार	
18	गैस भट्ठी	–	आवश्यकतानुसार	
19	चपाती भट्ठी तावा के साथ	–	आवश्यकतानुसार	
20	डब्बु स्टील	250 ग्राम	आवश्यकतानुसार	
21	चिमटा स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
22	हमाम दस्ता	–	आवश्यकतानुसार	
23	लोहा का बाल्टी	16''	आवश्यकतानुसार	

14.5.18

24	चाकू	बड़ा	आवश्यकतानुसार	
25	चाकू	छोटा	आवश्यकतानुसार	
26	ग्लास स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
27	जग स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
28	स्टील कन्टेनर	(क्षमता 25 किलो से 100 किलो तक)	आवश्यकतानुसार	
29	कठौता	–	आवश्यकतानुसार	
30	अल्युमिनियम ट्रे	–	आवश्यकतानुसार	

(ख) बर्त्तन भाड़ा हेतु :–

क्र०	सामग्री का नाम	साईज	मात्रा (नग)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	पतीला अल्युमिनियम	30"	आवश्यकतानुसार	
2	पतीला अल्युमिनियम	25"	आवश्यकतानुसार	
3	पतीला अल्युमिनियम	20"	आवश्यकतानुसार	
4	पतीला अल्युमिनियम	18"	आवश्यकतानुसार	
5	परात अल्युमिनियम	29"	आवश्यकतानुसार	
6	परात अल्युमिनियम	26"	आवश्यकतानुसार	
7	कड़ाही लोहे की	29"	आवश्यकतानुसार	
8	पलटा लोहा	बड़े साईज का	आवश्यकतानुसार	
9	झरना लोहा	बड़े साईज का	आवश्यकतानुसार	
10	झरना लोहा	छोटे साईज का	आवश्यकतानुसार	
11	करछी स्टील / लोहा	बड़े साईज का	आवश्यकतानुसार	
12	करछी स्टील / लोहा	मंझले साईज का	आवश्यकतानुसार	
13	प्रेशर कुकर	22 लीटर वाला	आवश्यकतानुसार	
14	आटा चलनी	बड़े साईज का	आवश्यकतानुसार	
15	थाली स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
16	कटोरा स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
17	चकला बेलन	बड़े साईज का (पिढ़ा टाईप)	आवश्यकतानुसार	
18	गैस भट्ठी	–	आवश्यकतानुसार	
19	चपाती भट्ठी तावा के साथ	–	आवश्यकतानुसार	
20	डब्बु स्टील	250 ग्राम	आवश्यकतानुसार	
21	चिमटा स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
22	हमाम दस्ता	–	आवश्यकतानुसार	
23	लोहा का बाल्टी	16"	आवश्यकतानुसार	
24	चाकू	बड़ा	आवश्यकतानुसार	
25	चाकू	छोटा	आवश्यकतानुसार	
26	ग्लास स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
27	जग स्टील	–	आवश्यकतानुसार	
28	स्टील कन्टेनर	(क्षमता 25 किलो से 100 किलो तक)	आवश्यकतानुसार	
29	कठौता	–	आवश्यकतानुसार	
30	अल्युमिनियम ट्रे	–	आवश्यकतानुसार	

तकनीकी निविदा की पात्रता एवं शर्ते :—

1. आपूर्तिकर्ता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग अलग लिफाफा एक दुसरे लिफाफे में डालकर निविदा हेतु प्रस्तुत करेगें।
2. निविदादाताओं को **मो०—10,000.00 (दस हजार) रूपये** जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, कटिहार के नाम से विकलनीय होगा। बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ मूल में सलग्न किया जाएगा।
3. निविदादाता अथवा संबंधित फार्म को इस आशय का शपथपत्र मूल मे समर्पित करना होगा की उन्हें पूर्व में काली सूची में नाम नही डाला गया है।
4. आपूर्तिकर्ता निविदा के साथ जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण पत्र एवं विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न फाईल (ITR) की विवरणी का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर से संबंधित पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेगें।
5. आपूर्त्तिकर्त्ता को पूर्व में आपूर्त्ति करने का अनुभव होना चाहिए एवं साक्ष्य के रूप में प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।

वित्तीय निविदा :—

1. सीलबंद लिफाफे में क्रमवार सामग्रियों का नाम, प्रकार / गुणवत्ता एवं सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभरराईटिंग मान्य नहीं होगा।

निविदा की अन्य शर्त्तें :—

1. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को दो दिनों के अन्दर इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि को हीं स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साइज, गुणवत्ता एव मात्रा के अनुसार समानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देगें।
2. इकरारनामित आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति करने में असफल रहने पर विभागीय प्रावधानानुसार अन्य आपूर्तिकर्ताओं से भी न्यूनतम स्वीकृत दर पर आपूर्ति प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लायेगें ताकि उनकी गुणवत्ता की जॉच की जा सके।
4. स्वीकृत किये गए नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम एवं परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
6. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदाताओं की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
8. कोई भी विवाद या दावा कटिहार जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
9. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार सभी करों की कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
10. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्ता को अधिमानता दी जायेगी ।
11. निविदा की जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार जिला से सम्पर्क कर सकते है एव विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट **http://katihar.bih.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।
12. भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में बिलम्व होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
13. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

14/5/18

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।